

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक— ८८१ / ११-सी-FP/UP/Others/145411/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर १५, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:—जनपद सम्भल में मेरठ-बदौयू मार्ग (एस०एच०-१८) किमी० १५१ (चैनैज १५०.५५०) की दायी पटरी पर ग्राम-सराय ब्राहमण, तहसील-गुन्नौर की खसरा/गाटा संख्या-८०/८१ पर मै० इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित ०.२०८१ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/145411/2021)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-८बी०/यू०पी०/१८२/२०२२/२०२२/एफ०सी०/२६१, दिनांक-३१.०७.२०२३

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-६६८/१४-१ दिनांक ११.०९.२०२३ द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— ८८१ / ११-सी FP/UP/Others/145411/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- १- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- २- प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।
- ३- वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०) मुरादाबाद मण्डल, कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन०एच०-२४, उ०प्र०।

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— ८८१ / ११-सी FP/UP/Others/145411/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 668 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, () -09-2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद सम्मल में मेरठ-बदौली मार्ग (एस०एच०-18) किमी० 151 (चैनेज 150.550) की दायी पटरी पर ग्राम-शाय ब्राहमण, तहसील-गुन्नौर की खसरा/गाटा संख्या-80/81 पर मै० इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.2081 है० (Entry Area = 0.0487ha.+Exit Area=0.0964ha.+Separator island=0.063ha.) संरक्षित वन भूमि के गैर वाणिज्यी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रोजेक्ट संख्या-FP/UP/OTHERS/145411/2021

सन्दर्भ:-

भारत सरकार की पत्र संख्या-8B/UP/06/182/2022 /FC/261 दिनांक 31-07-2023

नहोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल ने अपने पत्र संख्या-417/14-1 दिनांक 21.08.2023 द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर सहमति सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संख्या 668 / 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल को उनके पत्र दिनांक 21.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,
(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।